प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 13 अप्रैल, 2021***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र जयपाल सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27411/प्रोबे0-5/दया0 बैठक 28-09-2020 दिनांक 02-11-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र जयपाल सिंह जो- ग्राम-हरसौली, थाना-शाहपुर, जनपद-मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। वादी नेपालसिंह ने दिनांक 13.06.2002 को थाना-कविनगर में अपने पुत्र विशाल की गुमशुदगी की लिखित सूचना दी। अभियुक्तगण द्वारा विशाल से फिरौती की रकम दो करोड़ देने की मांग वाला पत्र वादी को भेजा गया, जिसे वादी द्वारा दिनांक 04.07.2002 को ही पुलिस को दिया गया। दिनांक 14.07.2002 को मुखबिर से सूचना पर विशाल को अभियुक्तगण के चंगुल से मुक्त कराया गया और अभियुक्त रामवीर राणा को रू0 31 लाख, 70 हजार फिरौती की रकम के साथ गिरफ्तार किया गया तथा अन्य तीन सहअभियुक्त फरार हो गये। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-1033/2002 में भा0द0वि0 की धारा-364ए/34 एवं 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय-प्रथम, गाजियाबाद के आदेश दिनांक 05.01.2005 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 28.04.2017 द्वारा धारा-25 आर्म्स एक्ट में दी सजा को निरस्त करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत है:-

"पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर हम इस निश्चित राय के हैं कि अभियोजन पक्ष ने अपना कथन अभियुक्तगण/ अपीलार्थीगण द्वारा किये गये व्यपहरण के अपराध को साबित कर दिया है और इस सम्बन्ध में अवर न्यायालय द्वारा निकाले गये निष्कर्ष साक्ष्य पर आधारित हैं। अपीलार्थीगण रामवीर राणा, अशोक, सतीश एवं विक्की उर्फ विकेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र को उक्त अपराध के लिए धारा 364-क भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दोषी पाये जाने का निष्कर्ष विधि अनुकूल है। अतः इस सम्बन्ध में अवर न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 5-1-2005 में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं पाते हैं और वह पुष्ट किये जाने योग्य है तथा निर्णय एवं आदेश धारा 25 आयुध अधिनियम के सन्दर्भ में निरस्त किये जाने योग्य है।

ऊपर निकाले गये निष्कर्षों के आधार पर अवर न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 5-1-2005 बावत धारा 364-क भा0दं0सं0 की पुष्टि की जाती है। अपीलार्थी रामवीर राणा की आपराधिक अपील संख्या 190/2005 तथा अपीलार्थी सतीश उर्फ सब्बे की आपराधिक अपील संख्या 99/2005 निरस्त की जाती हैं। अपीलार्थी अशोक की आपराधिक अपील संख्या 99/2005 तथा अपीलार्थी विक्की उर्फ विकेन्द्र उर्फ वीरेन्द्र की आपराधिक अपील संख्या 405/2005 धारा 364-क भा0दं0सं0 के सम्बन्ध में निरस्त की जाती हैं एवं उक्त दोनों अपीलें धारा 25 आयुध अधिनियम के सम्बन्ध में स्वीकार की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जाती है और इस सम्बन्ध में इन दोनों अपीलार्थीगण को दण्डित किये जाने का आदेश निरस्त किया जाता है।"

3- बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2020 तक 16 वर्ष, 08 माह, 24 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष, 11 माह, 19 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी का अपराध सीमित अपराध की श्रेणी का नहीं होने, बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी अशोक पुत्र श्री जयपल सिंह द्वारा कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी अशोक (बन्दी संख्या-12691) पुत्र जयपाल सिंह, निवासी जनपद-मुजफ्फरनगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-51/2021/1039(1)/22-2-2020 तद्दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मुजफ्फरनगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।